मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 (अग्रहायण 25, शक सम्वत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 10:34 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 14 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एवं 14) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 137 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 163 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. सदन की सर्वदलीय समिति बनाने संबंधी घोषणा

प्रश्नकाल में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के दिए गए पट्टों की बिक्री सम्बन्धी श्रीमती ललिता यादव, सदस्य के प्रश्न संख्या 5 (क्रमांक 2073) पर श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया. इस संबंध में श्री शिवराज सिंह चौहान, सदन के नेता (मुख्यमंत्री) के द्वारा सदन की सर्वदलीय समिति बनाने का अनुरोध किया गया. अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि - "माननीय सदन के नेता ने विचार प्रकट किया है और प्रतिपक्ष ने भी उसका स्वागत किया है. मैं सर्वदलीय समिति के सदस्यों की घोषणा शीघ्र करूंगा."

3. शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं संबंधी उल्लेख

(1) शून्यकाल में श्री जितू पटवारी, सदस्य, श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना का उल्लेख करके, माननीय अध्यक्ष से अनुरोध किया कि कल होशंगाबाद जिले में हुई दुर्घटना में 15 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और होशंगाबाद के नर्मदा हॉस्पिटल में 30-40 लोग जीवन-मृत्यु के बीच झूल रहे हैं. इसलिए इस स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर चर्चा कराई जाए.

माननीय अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि यह घटना अत्यन्त दु:खद है किन्तु यहां जो विषय आप लाये हैं वह नियमों में ही लाना पड़ेगा. ये 2 स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं आज 11.19 एवं 11.20 बजे प्राप्त हुई है. इसमें भी आपने संशोधन कर दिया है. इसलिये इनको नहीं लिया जा सकता है. शासन ने मुआवजा देने की घोषणा भी कर दी है. इलाज की व्यवस्था के लिये मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय को निर्देशित कर दूंगा. तद्नुसार डॉ. नरोत्तम मिश्र, लोक स्वास्थ्य मंत्री ने इस दु:खद घटना से प्रभावित व्यक्तियों के इलाज की समुचित व्यवस्था हेतु सदन को आश्वस्त किया गया.

(2) श्री आरिफ अकील सदस्य ने उल्लेख किया कि खरगौन, मंदसौर और सिवनी में जो साम्प्रदायिक तनाव हुआ है उसमें जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसकी जांच कराकर नियमानुसार मुआवजा दिलवा दें.

(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने उल्लेख किया कि लोक निर्माण विभाग में पदस्थ अधिकारी द्वारा लिखित में शिकायत की गई कि एक कार्यपालन यंत्री और प्रमुख सचिव ने रिश्वत मांगी, लोकायुक्त के छापे में इंदौर का शिक्षा अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ा गया और पी.एच.ई. विभाग में बिना अधिकार खरीदी की गई. भ्रष्टाचार की घटनाओं पर दिये गए स्थगन पर चर्चा कराई जाए.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से सूचित किया गया कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 27 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी. इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा :-

(1) श्री दिनेश राय, सदस्य की सिवनी जिले को जोड़ने वाले मार्ग जर्जर होने,
(2) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य की दतिया जिले में लगभग बीस ग्रामों में सिंचाई साधन न होने,
(3) श्री रामलाल रौतेल, सदस्य की जिला अनूपपुर के चचाई-अमलाई मार्ग का सड़क निर्माण कराये जाने,
(4) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य की इछावर के लाबरवाड़ी पंचायत क्षेत्र में जननी एक्सप्रेस की सुविधा दी जाने,

(5) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य की खरगापुर क्षेत्र की देवरदा के चौकी प्रभारी द्वारा अपराधियों से सांठगांठ की जाने,

(6) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा क्षेत्र में जंगली सुअरों एवं हिरणों के कारण किसानों की फसलों को क्षति पहुंचने,

(7) श्री इन्दरसिंह परमार, सदस्य की शाजापुर जिले के गांवों में सिचाई हेतु नहर से पानी उपलब्ध कराये जाने,

(8) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के ग्राम अरोंद में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऋण वसूली हेतु प्रथका ट्रेक्टर ले जाने,

(9) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की शिवपुरी जिले में विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अपने श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान न किये जाने,

(10) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य की आरक्षित वर्ग की महिला का नगर पंचायत से निर्वाचन फार्म रद्द किये जाने,

(11) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली के पामाखेड़ी आदि ग्रामों में बिजली की आपूर्ति न होने,

(12) श्रीमती संगीता चारेल, सदस्य की सैलाना में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन का निर्माण पूर्ण न होने,

(13) डॉ. मोहन यादव, सदस्य की उज्जैन में सिंहस्थ हेतु रेस्ट हाउस का निर्माण कार्य को रोके जाने,

(14) श्रीमती ऊषा चौधरी, सदस्य की रीवा क्षेत्रीय कार्यालय में अनियमितता की जांच न किये जाने,

(15) श्री दिनेश कुमार अहिरवार, सदस्य की जतारा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बनी सड़कें जर्जर होने,

(16) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य की नीमच के ग्राम घसुण्डी जागीर में विद्यालय का अभाव होने,

(17) श्री के.पी. सिंह, सदस्य की शिवपुरी जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के पट्टेधारकों की जमीन कम्प्यूटर में दर्ज न किये जाने,

(18) पं. रमेश दुबे, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के चौरई क्षेत्र में चिकित्सकों के पद रिक्त होने,

(19) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की राज्य शासन के मंत्रालय राजभवन सहित अन्य सचिवालयों के लिपिकीय संवर्ग के ग्रेड-पे 4200/- वेतनमान के स्थान पर 5400/- दिये जाने,

(20) श्री के.के. श्रीवास्तव, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के ग्राम श्री नगर के कृषक की भूमि का सीमांकन न होने,

(21) श्री घनश्याम पिरौनिया, सदस्य की भाण्डेर क्षेत्र में नील गायों का आतंक होने,

(22) श्री दीवान सिंह पटेल, सदस्य की बागरा सिंचाई तालाब में गाद के जमाव से पानी कम भराव होने,

(23) श्री आर.डी. प्रजापति, सदस्य की भोपाल के नायडू कॉलेज के पास अतिक्रमण कर निर्माण किये जाने,

(24) श्री प्रहलाद भारती, सदस्य की पोहरी के ग्रामों में पेयजल समस्या होने,

(25) श्री मधु भगत, सदस्य की परसवाड़ा तहसील को सूखाग्रस्त घोषित न किये जाने,

(26) श्री गोपाल सिंह चौहान, सदस्य की अशोकनगर जिले में ओला पीड़ित कृषकों का बीमा राशि न मिलने तथा

(27) श्री रमाकांत तिवारी, सदस्य की रीवा जिले के ग्राम पंचायत चंदपुर में अधिग्रहित भूमि का ऊर्जा विभाग को सौपे जाने, सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

5. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नांकित घोषणाएं की गई :-

(1) विगत जुलाई, 2015 सत्र एवं वर्तमान शीतकालीन सत्र में कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा अधिसूचना जारी होने के साथ उन्हें डाक द्वारा भेजे जाने वाले प्रश्न प्रपत्र अपरिहार्य कारणों से विलंब से प्राप्त होने की सूचना दी गई थी. जिसके फलस्वरूप सत्र की प्रारंभिक तिथियों हेतु माननीय सदस्यों को निर्धारित तिथियों में प्रश्नों की सूचना भेजने में असुविधा हुई. इस असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व व्यवस्था में आंशिक परिवर्तन करते हुए माननीय सदस्यगण को आगामी सत्र के उपयोगार्थ 20-20 तारांकित एवं अतारांकित प्रश्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सुविधानुसार उपर्युक्त प्रश्न प्रपत्र प्रश्न शाखा से प्राप्त करने का कष्ट करें. आगामी सत्र की अधिसूचना जारी होने पर माननीय सदस्यों को प्रश्न प्रपत्र भेजे जाने की पूर्व प्रक्रिया यथावत रहेगी.

(2) आज अपराह्न 1 बजे विधान सभा भवन स्थित कक्ष क्रमांक 319 में स्थापित "कम्पयूटर प्रशिक्षण केन्द्र" का शुभारंभ किया जायेगा. जिसका उपयोग माननीय सदस्य कर सकते हैं.

(3) आज सायं 7 बजे आडिटोरियम में विधायक क्लब के तत्वाधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. जिसमें माननीय विधायक अपनी संगीत प्रस्तुतियां देंगे तथा श्री देवेन्द्र दुबे एवं श्रीमती अनुपमा दुबे द्वारा गीतों की प्रस्तुति दी जायेगी. कार्यक्रम उपरांत सदन लॉबी परिसर में रात्रि भोज भी आयोजित है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्यक्रम में पधारने का कष्ट करें.

6. मंत्री का वक्तव्य

(2) श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कृषि उपज मंत्री हम्माल एवं तुलावटी वृद्धावस्था योजना 2015 के संबंध में वक्तव्य दिया.

श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की.

7. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से आज की कार्यसूची में उल्लेखित 56 ध्यानाकर्षण सूचनाओं में से प्रथम 6 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को नियम 138 (3) को शिथिल कर लिए जाने सम्बन्धी घोषणा की गई. तद्नुसार -

(1) श्री मुकेश नायक, सदस्य ने पालिटेक्निक कॉलेजों के अतिथि व्याख्याताओं के साथ अन्याय किये जाने की ओर तकनीकी शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री उमाशंकर गुप्ता, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) इंजी. प्रदीप लारिया, श्री गिरीश भण्डारी, सदस्यगण ने सागर जिले में कचरा जलाने एवं राजगढ़ जिले के पीलूखेड़ी स्थित औद्योगिक ईकाइयों द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने की ओर नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री, नगरीय विकास एवं पर्यावरण ने इस पर वक्तव्य दिया.

(3) श्री गोवर्धन उपाध्याय, सदस्य ने भोपाल से सिरोंज सड़क मार्ग की हालत जर्जर होने की ओर लोक निर्माण मंत्री की अनुपस्थिति में राज्यमंत्री, संस्कृति एवं पर्यटन का ध्यान आकर्षित किया.

श्री सुरेन्द्र पटवा, राज्यमंत्री, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(4) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड के आर्य नगर में एक युवक की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(5) श्री दिनेश राय, सदस्य ने सिवनी नगर पालिका द्वारा जल शोधन कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री, नगरीय विकास एवं पर्यावरण ने इस पर वक्तव्य दिया.

(6) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले के पांढुर्ना एवं सौंसर क्षेत्र में कपास का समर्थन मूल्य न मिलने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 2 के उप पद (7) से (56) तक के सदस्यगण की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए –

(7) सर्वश्री बाला बच्चन, रामनिवास रावत, सदस्यगण की श्योपुर जिले में रिन्यु सोलर पॉवर लिमिटेड में कार्यरत श्रमिकों को सेवा से पृथक किये जाने संबंधी सूचना तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य,

(8) श्री रजनीश सिंह, सदस्य की कृषि विभाग द्वारा लाईट ट्रेप खरीदी में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य,

(9) श्री आर.डी. प्रजापति, सदस्य की चन्दला क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन किये जाने संबंधी सूचना तथा खनिज साधन मंत्री का वक्तव्य,

(10) श्री सज्जन सिंह उईके, सदस्य की भोपाल, इंदौर एवं रायसेन में कोयले का अवैध भण्डारण किये जाने संबंधी सूचना तथा खनिज साधन मंत्री का वक्तव्य,

(11) श्री के.के. श्रीवास्तव, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के बानसुजारा बांध के डूब प्रभावितों को मुआवजा न दिये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य,

(12) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में विज्ञान विषय न पढ़ाये जाने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य,

(13) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की मंदसौर-नीमच एवं रतलाम जिलों में अफीम उत्पादक कृषकों का शोषण किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य,

(14) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य की कटनी स्थित राईस मिलों द्वारा अवैध रूप से धान खरीदी में कर की चोरी किये जाने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य,

(15) श्री विष्णु खत्री, सदस्य की बैरसिया में भूखण्डों की अवैध बिक्री किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य,

(16) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य की विदिशा जिले में मृत हैण्ड पंपों के स्थान पर नये हैण्ड पंप का खनन नहीं किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य,

(17) श्रीमती सरस्वती सिंह, सदस्य की सिंगरौली जिले के चितरंगी क्षेत्र के अनेक ग्रामों का विद्युतीकरण न किये जाने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य,

(18) श्री भारत सिंह कुशवाह, सदस्य की मेगनेट सिटी साडा ग्वालियर के किसानों के क्रेडिट कार्ड न बनाये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य,

(19) डॉ. गोविन्द सिंह एवं श्री रामनिवास रावत, सदस्यगण की प्रदेश में नकली एवं अमानक स्तर के कीटनाशक की बिक्री किये जाने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य,

(20) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की प्रदेश में स्प्रिंकलर पाईप खरीदी में भ्रष्टाचार किये जाने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य,

(21) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले में चंबल नहर से सिंचाई हेतु पानी न छोड़े जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य,

(22) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले में पेयजल योजनाएं बंद किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य,

(23) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य की नागदा स्थित आरसिल केटेलिस्ट प्रायवेट लिमिटेड द्वारा प्रदूषण फैलाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य,

(24) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य की खंडवा जिले के सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत घटिया सड़क का निर्माण किये जाने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य,

(25) श्री अजय सिंह, सदस्य की बुंदेलखंड पैकेज हेतु आवंटित राशि का उपयोग न होने संबंधी सूचना तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री का वक्तव्य,

(26) श्री अजय सिंह, सदस्य की भोपाल के समीप केरवा कलियासोत के जंगलों में रह रहे बाघों को संरक्षण न दिये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य,

(27) श्री अजय सिंह, सदस्य की राज्य शासन द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना बंद किये जाने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य,

(28) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल शहर में मलेरिया एवं डेंगू मच्छरों के प्रकोप से मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य,

(29) श्री आर.डी. प्रजापति, सदस्य की छतरपुर जिले के लवकुशनगर व गौरीहार क्षेत्र में सिंचाई नहरें क्षतिग्रस्त होने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य,

(30) श्री सतीश मालवीय, सदस्य की उज्जैन के घट्टिया में बस स्टैण्ड एवं यात्री निवास का निर्माण न किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य,

(31) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य की मंदसौर शहर में शराब नीति का पालन न किये जाने संबंधी सूचना तथा वाणिज्यिक कर मंत्री का वक्तव्य,

(32) डॉ. मोहन यादव, सदस्य की उज्जैन के सिंहस्थ के लिये तीर्थ यात्रियों को छाया प्रदान करने हेतु कोई व्यवस्था न किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य,

(33) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य की नीमच जिले के ठिकरिया बांध से पानी बहाये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य,

(34) श्री गिरीश भण्डारी, सदस्य की नरसिंहगढ़ क्षेत्र के कृषकों को फसल बीमा की राशि न मिलने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य,

(35) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी, सदस्य की मालवा क्षेत्र में कपास बीज का विक्रय महंगे दामों पर किये जाने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य,

(36) श्रीमती अर्चना चिटनिस, सदस्य की बुरहानपुर जिले में स्वकराधान योजना अंतर्गत राशि न मिलने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य,

(37) श्री जितू पटवारी, सदस्य की इंदौर की हुकुमचंद मिल के मजदूरों के पक्ष में न्यायालय के आदेश का पालन न किये जाने संबंधी सूचना तथा वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री का वक्तव्य,

(38) पंडित रमेश दुबे, सदस्य की होशंगाबाद स्थित मंदिर प्रबंधन द्वारा न्यास की संपत्ति का व्यवसायिक उपयोग किये जाने संबंधी सूचना तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री का वक्तव्य,

(39) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य की सुवासरा क्षेत्र में पवन चक्की द्वारा नियमों का पालन न किये जाने संबंधी सूचना तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य,

(40) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल में नगर निगम की उपेक्षा से यातायात व्यवस्था अव्यवस्थित होने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य,

(41) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य की अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ क्षेत्र की नलजल योजना प्रारंभ न किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य,

(42) श्री दिनेश कुमार अहिरवार, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के जतारा क्षेत्र में हैण्डपंप खराब होने से पेयजल संकट संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य,

(43) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य की प्रदेश में लहसुन खरीदी में क्रय नियमों का पालन न किये जाने संबंधी सूचना तथा उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का वक्तव्य,

(44) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य की सारणी पॉवर हाऊस द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य,

(45) श्री हर्ष यादव, सदस्य की प्रदेश में कोडीन फास्फेट मिश्रित फैन्सीडिल कफ का नशे के रूप में उपयोग किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य,

(46) श्री लाखन सिंह यादव, सदस्य की ग्वालियर जिले के भितरवार एवं घाटीगांव तहसील को सूखा ग्रस्त घोषित न किये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य,

(47) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की बड़वानी जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालय हेतु अधिक दर से सामग्री का क्रय किये जाने संबंधी सूचना तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री का वक्तव्य,

(48) श्री संजय शर्मा, सदस्य की नरसिंहपुर जिले में कृषि पंपो के नाम पर अवैध वसूली किये जाने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य,

(49) श्री आरिफ अकील, सदस्य की प्रदेश वक्फ बोर्ड के अधिकारियों द्वारा अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का वक्तव्य,

(50) सर्वश्री तरूण भनोत एवं रामनिवास रावत, सदस्यगण की प्रदेश में पेयजल हेतु पाईप खरीदी में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य,

(51) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य की अनूपपुर जिले में पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के अनेक ग्राम नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के डूब क्षेत्र में आने संबंधी सूचना तथा मुख्य मंत्री का वक्तव्य,

(52) श्री रमेश मैंदोला, सदस्य की इंदौर नगर निगम को हस्तांतरित कालोनियों का विकास कार्य न कराये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य,

(53) श्री अशोक रोहाणी, सदस्य की जबलपुर में राशन की दुकानों को प्राधिकार पत्र जारी किये जाने में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य,

(54) श्रीमती ममता मीना, सदस्य की चाचौड़ा क्षेत्र के ग्राम केदारपुरा में निर्मित रैन बसेरा में अतिक्रमण होने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य,

(55) श्री राजेश सोनकर, सदस्य की सांवेर क्षेत्र में पेट्रोलियम कंपनियों के कारण पेयजल प्रदूषित होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का वक्तव्य तथा

(56) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य की चंबल संभाग में नदियों से जमीन का कटाव होने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य.

8. गर्भगृह में प्रवेश एवं बहिर्गमन

(श्री सत्यप्रकाश सखवार, सदस्य के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण उनके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चर्चा में न लिये जाने को लेकर अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में आये एवं सदन से बहिर्गमन किया.)

9. विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री जयसिंह मरावी, सदस्य, विशेषाधिकार समिति ने मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन संबंधी नियमावली के नियम-228 के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि –

(1) माननीय डॉ. गौरीशंकर शेजवार एवं माननीय डॉ. नरोत्तम मिश्र, मंत्रीद्वय, मध्यप्रदेश शासन एवं माननीय श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य विधान सभा द्वारा माननीय श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय श्री बाला बच्चन, सदस्य विधान सभा के विरूद्ध,

(2) माननीय डॉ. गौरीशंकर शेजवार एवं माननीय डॉ. नरोत्तम मिश्र, मंत्रीद्वय मध्यप्रदेश शासन द्वारा माननीय श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष के विरूद्ध एवं

(3) माननीय श्री सचिन यादव, सदस्य म.प्र. विधान सभा द्वारा जिला इंदौर के अंतर्गत मानपुर-लेबड़ मार्ग में वालेचा एल.एम. टोल प्राइवेट लिमिटेड के टोल प्लाजा नाके के कर्मचारियों तथा थाना प्रभारी मानपुर के विरूद्ध माननीय श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल, सदस्य विधान सभा के साथ अपमानजनक व्यवहार एवं जनप्रतिनिधित्व कार्य में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

10. नियम 239 के अंतर्गत विशेषाधिकार भंग की विचाराधीन सूचनाओं संबंधी सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि - "सर्वश्री सुरेन्द्र नाथ सिंह, विश्वास सारंग, रामेश्वर शर्मा, विष्णु खत्री एवं आरिफ अकील, सदस्यगण द्वारा श्री तेजस्वी नायक, आयुक्त नगर निगम भोपाल के विरूद्ध दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचना प्राप्त हुई है, जो उनके समक्ष विचाराधीन है."

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकायें पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(2) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(3) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(4) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
(5) श्रीमती शकुन्तला खटीक (जिला-शिवपुरी)
(6) श्री नथनशाह कवरेती (जिला-छिन्दवाड़ा)
(7) श्री राम प्यारे कुलस्ते (जिला-मण्डला)
(8) श्री घनश्याम पिरोनियॉ (जिला-दतिया)
(9) श्री रामलल्लू वैश्य (जिला-सिंगरौली)
(10) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(11) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(12) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(13) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया (जिला-मुरैना)
(14) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(15) श्री निशंक कुमार जैन (जिला-विदिशा)
(16) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(17) श्री रजनीश सिंह (जिला-सिवनी)

(अपराह्न 12.55 से 2.39 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2015 (क्रमांक 20 सन् 2015) पर विचार किया जाए.

13. व्यवधान के कारण कार्यवाही स्थगित किया जाना

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि - कल दिनांक 15 दिसम्बर की दैनिक कार्यसूची में "प्रदेश में अल्प वर्षा, सूखे एवं ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति पर नियम 139 की चर्चा थी आज की कार्यसूची से वह गायब हो गई है. अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में आये इस कारण कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हुआ."

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की कार्यवाही 2.44 बजे स्थगित की जाकर 2.56 बजे पुन: समवेत की गई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि आज की कार्यसूची में नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा हटा दी गई है. इस पर आप अपनी व्यवस्था दें. माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - "इसी विधान सभा में दिनांक 5 नवम्बर 2015 को सूखे के विषय पर विशेष सत्र बुलाकर चर्चा की जा चुकी है और तब से आज तक कोई सूखे की स्थिति नही है. कल भी इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण आ चुका है और इस सत्र में माननीय सदस्य लगातार सूखे के संबंध में प्रश्न भी पूछते रहे हैं. इसलिये इसकी पुनरावृत्ति होने से अब इसकी आवश्यकता नहीं थी."

(श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा नियम 139 के अंतर्गत प्रदेश में अल्पवर्षा, सूखे एवं ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की मांग को लेकर सदन से बहिर्गमन किया गया.)

14. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री कमलेश्वर पटेल

सभापति महोदय (डॉ. गोविन्द सिंह) पीठासीन हुए.

(2) श्री शैलेन्द्र पटेल
(3) श्री जयवर्द्धन सिंह
(4) श्रीमती ऊषा चौधरी
(5) डॉ. रामकिशोर दोगने
(6) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(7) श्री वेलसिंह भूरिया
(8) श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष
(9) श्री पन्नालाल शाक्य

श्री उमाशंकर गुप्ता ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 46 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री उमाशंकर गुप्ता ने प्रस्ताव किया कि डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2015 (क्रमांक 20 सन् 2015) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ.

(2) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 21 सन् 2015) पर विचार किया जाए.

श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष चर्चा में भाग लिया.

श्री जयंत मलैया ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 5 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 21 सन् 2015) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(3) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 22 सन् 2015) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री कमलेश्वर पटेल
(2) श्री शैलेन्द्र पटेल
(3) श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष

श्री जयंत मलैया ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरांत)

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 22 सन् 2015) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(4) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 23 सन् 2015) पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष
(3) श्री ओमकार सिंह मरकाम

श्री जयंत मलैया ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 23 सन् 2015) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(5) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 24 सन् 2015) पर विचार किया जाए.

श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष चर्चा में भाग लिया.

श्री जयंत मलैया ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 24 सन् 2015) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

15. प्रतिवेदनों पर चर्चा

(1) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (वित्तीय वर्ष 2013-14) पर दिनांक 14.12.2015 को हुई चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया :-

(8) श्री शैलेन्द्र पटेल
(9) श्री रजनीश सिंह
(10) श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष

श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री की अनुपस्थिति में डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई आज की कार्यवाही पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाय.

(2) अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि - "मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अन्तर्गत उन्नीसवें वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012 पर चर्चा अगले सत्र में होगी. "

16. विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने विषयक प्रस्ताव

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के समक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि – "विधान सभा के वर्तमान दिसम्बर, 2015 सत्र के लिये नियत शासकीय एवं वित्तीय कार्य पूर्ण हो चुके हैं. अत: मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 12-ख के के अंतर्गत विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

17. सत्र समापन अवसर पर उदबोधन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर निम्नानुसार उदगार व्यक्त किए गए –

मध्य प्रदेश की चतुर्दश विधान सभा का यह शीतकालीन सत्र अब समाप्ति की ओर है. इस 8 दिवसीय सत्र में विधायी, वित्तीय तथा लोक महत्व के अनेक कार्य सम्पन्न हुए.

सदन ने वर्ष 2015-16 के तृतीय अनुपूरक अनुमान को अपनी स्वीकृति प्रदान की. अनुपूरक अनुमान पर देर तक बैठ कर 39 माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया. विनियोग विधेयक सहित 11 शासकीय विधेयक पारित किये गये जिसमें 55 माननीय सदस्यों ने सारगर्भित चर्चा की.

इस सत्र में कुल 2756 प्रश्न प्राप्त हुए। इनमें से 98 प्रश्नों पर लगभग सात घंटे चर्चा हुई. उल्लेखनीय बात यह है कि इन 2756 प्रश्नों में से 1632 प्रश्न प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों के थे. ध्यानाकर्षण की कुल 607 सूचनायें प्राप्त हुई, उसमें से कुल 77 सूचनाएं ग्राह्य हुई और 26 पर सदन में चर्चा भी हुई. कुल 260 याचिकाएं सदन में प्रस्तुत हुई। इस सत्र में लोक लेखा समिति के 205 प्रतिवेदन, सरकारी उपक्रम समिति के 19 प्रतिवेदन, आश्वासन समिति के 7 प्रतिवेदन, प्रश्न एवं संदर्भ समिति के 4 प्रतिवेदन एवं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 2 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये. बड़वानी की घटना पर स्थगन प्रस्ताव और 3 अशासकीय संकल्पों पर भी चर्चा हुई. इस प्रकार चर्चा हेतु लगभग सभी प्रक्रियाओं का उपयोग माननीय सदस्यों ने किया.

संसदीय लोकतंत्र में सदन जनता की आवाज को सुनने और उसका समाधान निकालने का एक प्रभावी और कारगर मंच है और इसके सुखद परिणाम भी जनता को मिलते हैं. प्रश्नों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं, स्थगन, बजट व अन्य माध्यमों से की जाने वाली चर्चा सदैव ही परिणामदायक रहती है. सैकड़ों जनहित के मामलों का समाधान होता है. इस सत्र में हुई चर्चाओं के परिणाम भी अच्छे रहे. कई जनहित के काम हुए.

कुछ खट्टी, कुछ मीठी यादें हर सत्र छोड़कर जाता है. यद्यपि इस सत्र में कोई खट्टी यादे ज्यादा नहीं रहीं. कुल मिलाकर यह सत्र पूरी तरह से सफल रहा. सत्र के सुखद समापन पर मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस पक्ष के सचेतक, बसपा विधायक दल के नेता, सभी माननीय सदस्यों, मीडिया के मित्रों, शासन तथा विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सुरक्षाकर्मियों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ. सभापति तालिका के माननीय सदस्यों को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ. माननीय संसदीय कार्य मंत्री के सहयोग का मैं पृथकत: उल्लेख करना चाहूँगा. उनकी सजगता और लगातार सदन में उनकी उपस्थिति से सदन में व्यवस्था बनाने में मुझे मदद मिली.

मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से प्रदेशवासियों को आने वाले क्रिसमस पर्व और नववर्ष की भी बधाई देता हूँ. अगले सत्र में हम सब पुन: ऐसे ही सुखद माहौल में समवेत होंगे, इस अपेक्षा के साथ आप सबको पुन: धन्यवाद.

श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय सदन के नेता एवं श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष ने भी समापन अवसर पर अपने विचार व्यक्त किये.

18. राष्ट्रगान "जन गण मन" का समूहगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूह गान किया गया.

19. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा अपराह्न 5.33 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 16 दिसम्बर, 2015